संख्या-2023/001-777422023

प्रेषक,

नवनीत सहगल,
अपर मुख्य स चव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खेल अनुभाग लखनऊ : दिनांक **24** मार्च**, 2023**

वषय:- जनपद शामली में स्पोर्टस स्टे डयम के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त वषयक आपके पत्र संख्या-जी-1422/2022-23, दिनांक 27.02.2023 एवं पत्र संख्या-जी-1094/2022-23, दिनांक 14.12.2022 के क्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हूआ है क जनपद शामली में स्पोर्टस स्टे डयम के निर्माण हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंक लत लागत रू0 2494.64 लाख की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति तथा चालू वत्तीय वर्ष- 2022-23 के बजट में अनुदान संख्या-22 के लेखाशीर्षक 4202- शक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-102-खेलकूद स्टे डया-11-जनपद शामली में स्टे डयम का निर्माण-24-वृहत निर्माण कार्य" मद में उपलब्ध धनरा श रू0 60000000.00 (रू0 छः करोड मात्र) के सापेक्ष धनरा श रू0 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) की वत्तीय स्वीकृति निर्गत करने की श्री राज्यपाल निम्न ल खत शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनरा श रू0 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके सम्बन्धित कार्यदायी संस्था- यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन ल0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) स्वीकृत धनरा श को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) प्रश्नगत प्रायोजना का गठन उ0प्र0 लोक निर्माण वभाग द्वारा जारी वर्ष 2022 की जनपदीय अनुसूची दर एवं डी0एस0आर0 वर्ष 2021 के आधार पर कया गया है। प्रायोजनान्तर्गत कतिपय ऐसी कार्यमदें जो लोक निर्माण वभाग की अनुसूची दरों एवं डी0एस0आर में उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें बाजार/कोटेशन के आधार पर प्रस्ता वत कया गया है। बाजार दरों पर आधारित व्यय सुसंगत वत्तीय नियमों के अन्तर्गत निदेशक, खेल /कार्यदायी संस्था द्वारा कया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्या पत की जा सकती है ।

(4) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्ता वत कार्यों की मात्राओं एवं व शष्टियों को यथावत मानते हुए दरों का परीक्षण कया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित कये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था /निदेशक, खेल का होगा।

(5) प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(6) प्रा वधानों को यथावत मानते हुए प्रायोजना का परीक्षण कया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य को सम्मि लत करना, कार्यों के आकार में वृ द्ध एवं अन्य उच्च व शष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त कये बिना नहीं कया जायेगा।

(7) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्ता वत कार्यों की द् वरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल द्वारा यह सुनिश्चित कर लया जायेगा क यह कार्य न तो स्वीकृत है और न वर्तमान एवं भ वष्य में कसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित है।

(8) योजनान्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कया जायेगा।

(9) वत्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07.06.2022 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या- 23/2022/बी-1-749/दस-2022-231/2022 दिनांक 04.11.2022 में निहित व्यवस्थानुसार कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार धनरा श निर्गत/व्यय की जायेगी।

(10) कार्य की व शष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल/कार्यदायी की होगी तथा निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे क कार्य निर्धारित समयाव ध में ही पूर्ण हो जाय।

(11) परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अतः इस संबंध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर-212(VII) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कया जायेगा।

(12) निदेशक, खेल द्वारा यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कया जायेगा क कार्यो की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो एवं समय-समय पर सम्पादित कराये जा रहे निर्माण कार्यों की मानिटरिंग भी की जायेगी।

(13) स्वीकृत धनरा श का व्यय वत्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रा वधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कया जायेगा।

(14) कार्यदायी संस्था द्वारा लेबरसेस के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चत की जायेगी।

(15) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अ धकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वत्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में व र्णत व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कया जायेगा।

(16) निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयाव ध में अवश्य पूर्ण करा लया जायेगा।

(17) निदेशक, खेल द्वारा अवमुक्त की गयी सम्पूर्ण धनरा श का उपयो गता प्रमाण-पत्र वर्तमान वत्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त कया जाना सुनिश्चित कया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्या पत की जा सकती है ।

(18) निदेशक, खेल /कार्यदायी संस्था द्वारा सामग्री एवं सेवाओं के क्रय के लये सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित कया जायेगा।

(19) प्रायोजनान्तर्गत 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनरा श अनुमन्य कर दी गयी है। निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कया जायेगा क प्रायोजनान्तर्गत व भन्न कार्यमदों में जी0एस0टी0 सम्मि लत न हो।

(20) जी0एस0टी0 आदि की गणना की शुद्धता का उत्तरदायित्व निदेशक, खेल/कार्यदायी संस्था का होगा।

(22) स्वीकृत की जा रही धनरा श यदि कसी ऐसे खाते में रखी जाती है जिसमें ब्याज अर्जित हो तो उक्त ब्याज की धनरा श राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(23) स्वीकृत की जा रही धनरा श के सम्बन्ध में वत्त वभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में प्रशासकीय व्यय में मतव्ययता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़ मात्र) को चालू वत्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 4202031021100 जनपद शामली में स्टे डयम का निर्माण मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-5-256-X-2022-23-दिनांक:22-3-2023 में प्राप्त वत्त वभाग की सहमति से निर्गत कये जा रहे है।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य स चव।

संख्या-2023/001-777422023 तद्दिनांक।

प्रति ल प निम्न ल खत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत:-

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द् वतीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द् वतीय उ0 प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषा धकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिला धकारी, शामली।
5- क्रीड़ा अ धकारी, क्षेत्रीय खेल कार्यालय, सहारनपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन ल0 लखनऊ।
7- वत्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वत्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(वनीत प्रकाश)
वशेष स चव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी कया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमा णकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्या पत की जा सकती है ।